संख्या–260(2) ईजी / 23–5–13–50(71)ईजी / 04

प्रेषक,

सरोज कुमार यादव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक : 18 मार्च, 2013

विषयः पूल्ड आवासों एवं लोक निर्माण विभाग के आवासीय भवनों के किराये का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0–4167 / तेइस–8–1998–51सीबी / 98, दिनांक 09.10.1998 द्वारा पूल्ड आवासों एवं लोक निर्माण विभाग के आवासीय भवनों के मासिक किराये का निर्धारण किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे।

2– लोक निर्माण विभाग के पूल्ड आवासों एवं आवासीय भवनों के अनुरक्षण एवं अन्य मदों पर होने वाली व्यय दरों में भारी वृद्धि के दृष्टिगत यह आवश्यक हो गया है कि लोक निर्माण विभाग के उपर्युक्त आवासों / भवनों के मासिक किराये का पुनर्निर्धारण किया जाय।

3– अतएव श्री राज्यपाल महोदय सम्यक विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग के पूल्ड आवासों एवं आवासीय भवनों के प्रचलित मासिक किराये की दरों को तात्कालिक प्रभाव से तीन गुना किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। तद्नुसार पूल्ड आवासों एवं आवासीय भवनों का मासिक किराया तीन गुना दर पर देय होगा।

4– इस संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 09.10.1998 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष सभी शर्ते पूर्ववत लागू रहेंगी।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–ई0–8–११६ / दस–2013, दिनांक १५ मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सरोज कुमार यादव)
उप सचिव।

संख्या–260(3)ईजी / 23–5–2013–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3– मुख्य अभियन्ता(भवन) लो0नि0वि0, लखनऊ।
4– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–8

आज्ञा से,

(सरोज कुमार यादव)
उप सचिव।